न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेड़वा

र्थी राजस्थान बनाम मूला विप्रार्थी
सरकार जरिये पटवारी बांहडला श्री मूला
हल्का बांहडला वल्द धोकला जाति जाट
निवासी शोभूपर
राजस्व मुकद्दमा नं. ....05/2019.. निर्णय दिनांक 10/10/19
अन्तर्गत धारा 91 भू– राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का बांहडला की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा शोभूपर के ख.न. 829/644 में रकबा 7.06 बीघा किस्म गै.मु.धोरा पर संवत् 2076 खरीफ मे काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से तामिल हो चुका है अप्रार्थी ~~उपस्थिति~~/अनुपस्थिति।

अप्रार्थी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगाया शस्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.44 का 50 गुणा रूपये 22 अक्षरे बाईस रुपये आरोपित किये जाते है भू.अ. निरीक्षक हल्का बांहडला को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन मे पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतू पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhail Singh
Date: 2024.08.02 11:59:21 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/10/19 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार सेडवा